डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
समस्तीपुर (बिहार)

वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 201 लय की समीक्षात्मक प्रतिवेदन, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का अनुपालन प्रातवदन तथा अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने में विलम्ब की विवरणी।

पृष्टभूमि

डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का पूर्व में राजेन्द्र कषि विश्वविद्यालय के रूप में 3 दिसम्बर, 1970 को स्थापना हुई थी जिसका वर्तमान में डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कषि विश्वविद्यालय के रूप में भारत सरकार के अध्यादेश संख्या 2455 दिनांक 7 अक्टुवर, 2016 के द्वारा संपरिवर्तन किया गया। विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, अनुसंधान परिषद्, प्रसार शिक्षा परिषद्, विद्वत परिषद् एवं वित्त समिति वैद्यानिक निकाय हैं।

उपलब्धियाँ

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016–17 में 5 संकाय में स्नातक, 18 संकाय में स्नातकोत्तर एवं 9 संकाय में पी०एच०डी० जिसका कुल वार्षिक नामांकन क्षमता 324 है, में शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविालय द्वारा वर्ष 2016–17 में 73 छात्रों को स्नातक, 46 छात्रों को स्नातकोत्तर एवं 6 छात्रों को पी०एच०डी० की उपाधि प्रदान किया गया।

अनुसंधान का प्रमुख क्षेत्र उपयुक्त अंतउपयोग तकनीकों को विकसित कर किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ–साथ कृषि उत्पादन जिसमें पशुपालन एवं मत्स्यकी सम्मिलित है, में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए अनुसंधान को बढावा देना, उत्पादन कीमत को कम करना एवं नवीनत्तम अनुसंधान के द्वारा टिकाउ तरीके से उत्पादन में वृद्धि, कृषि और संवद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं जलवायु परिवर्तन के परिपेक्ष्य में कृषि उत्पादन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है । वर्ष 2016–17 में बिहार की कृषि पारिस्थितिक स्थितियों के लिए उपयुक्त फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों के विकसित करने के लिए 37 अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएँ, 13 केन्द्रीय सरकार, 18 बिहार सरकार, 5 अन्य एजेन्सियों के द्वारा वित्त पोषित, 30 विश्वविद्यालय द्वारा वित्त पोषित एवं 5 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित थी। इसके अलावे 3 नये विश्वविद्यालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत किए गए थे।

फसल उन्यन कार्यक्रम के तहत लगभग 5755 विभिन्न फसलों के जर्मप्लाजम अनुरक्षित रखे गए एवं प्रजनकों के द्वारा मूल्यांकित किए गए। बाजरे की किस्म–राजेन्द्र कौनी–1 मटर का किस्म– अरहर–1 बिहार राज्य के लिए विमुक्त किए गए। मसाला पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के द्वारा धनिया का किस्म राजेन्द्र धनिया–1 राष्ट्रीय स्तर पर सी०भी०आ०सी० के द्वारा विमुक्ति करने के लिए अनुशंसित किया गया। फसल उत्पादन/संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के कृषि पारस्थितिकी के अनुरूप एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबन्धन, विभिन्न फसलों के कीट और रोग प्रबन्धन आदि पर कई परिक्षण किये गए।

मक्का अधारित फसल क्रम में मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन पर अधिक जोर देने के साथ मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन के माध्यम् से मिट्टी की उर्वरता में सुधार पर ध्यान दिया गया है। टाल एवं दियारा संभाग में फसल चक्रण प्रणाली मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण धान के सीधे बीज रोपनी के माध्यम् से किया गया। किसानों के सहयोग से दलहन बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करके दलहन उत्पादन बढाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। रवी और गरमा मक्का में दलहन का अंतर फसल, धान–परती प्रणाली के अन्तर्गत दलहन उत्पादन अनुसंधान में तीव्रता, पानी के उपयोग की दक्षता का अनुकूलन करने के लिए (प्रति बुन्द अधिक फसल) भूमिगत पाईपलाइनों के आधार पर सिंचाई प्रणाली के मूल्यांकन के लिए पहल की गई है। गन्ने और दलहनी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर शोध और सिंचाई के लिए तकनीकों का स्वचालन किया गया।

विश्वविद्यालय किसानों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और कुशल प्रणाली विकसित किया गया है। इस अवधि में करीव 50388 वृतिशील किसानों, ग्रामीण युवाओं और विस्तार कार्यक्रताओं को कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावे विश्वविद्यालय के विभिन्न

इकाईयों के द्वारा कृषि के विभिन्न आयामों पर 1375 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए है। एफ० एल० डी० 1316 हे० क्षेत्र में एवं 54 ओ० एफ० टी० किया गया जिसमें 3430 वृतिशील किसानों ने भाग लिया। एक वृहत किसान मेला 3–5 दिसम्बर, 2016 को विश्वविद्यालय मुख्यालय, पूसा में आयोजित किया गया।

विश्वविद्यालय में प्रमुख फसलों के बीज उत्पादन के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुआ है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय विभिन्न फसलों के लगभग 10.02 क्विन्टल प्रमाणित, 341.77 क्विन्टल आधार एवं 2081.74 क्विन्टल प्रजनक बीज के साथ–साथ 225.77 टन ईख का प्रजनक बीज उत्पादित किया गया और लगभग 95042 रोपन सामग्रियों की आपूर्ति किया गया जो राज्य में बीज उत्पादन कार्यकम के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

वर्ष 2016–17 में कुल 176 शोध पत्र शोध जर्नल में प्रकाशित किए गए। 85 शोध पत्र सेमिनार, सिमपोजिया एवं सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। 48 लोकप्रिय लेख, 10 किताब, 9 पुस्तक अध्याय, 37 पत्रिका एवं 17 पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।

डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2016–17 के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार (अंकेक्षण) पटना के द्वारा माह फरबरी, 2019 में डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के धारा (1) के उपधारा (2) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया। अंकेक्षण महालेखाकार (अंकेक्षण) पटना के पत्र संख्या (सी)– एस०ए०आर० डी०आर०ची०सी०ए०यू० (2017–18)–343 दिनांक 31.7.2019 के द्वारा अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया जिसमें 4 टिप्पणियाँ की गई थी। इन चार टिप्पणियों का अनुपालन तैयार कर सम्बद्ध प्राधिकार को समर्पित कर दिया गया। डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2016–17 के लेखा का अंकेक्षण माह फरबरी, 2019 में किया गया इसलिए अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित सुझावों को वर्ष 2018–19 एवं उससे आगे सही तरीके से अनुसरण किया गया। कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग के द्वारा 44.5 करोड रूपये सहायता अनुदान विश्वविद्यालय को विमुक्त किया गया जिसका सम्पूर्ण उपयोग किया गया।

31.07.2019 को CAG ऑडिट, पटना से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2016–17 का सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का अनुपालन प्रतिवेदन :–

संसद में वर्ष 2016–17 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विलम्ब का विवरणी :–

1.	विश्वविद्यालय द्वारा केवल रिसीट और भुगतान विवरणी तैयार किया गया है और आर्थिक विवरणी, आय एवं व्यय के साथ–साथ सिडयूल, महत्वपूर्ण लेखा नीति आदि की विवरणी के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया है। वर्ष 2016–17 का वार्षिक खाता एम.एच.आर. डी. के द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं है।	इस विश्वविद्यालय का स्थापना राज्य कृषि विश्वविद्यालय से रूपान्तरण के आधार पर हुआ है। जब यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्राधीन था तब लेखा विवरणी राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रारूप के आधार पर तैयार किया जाता था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बनने के प्रारम्भ के वर्षो में विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा पूर्व के भाँति राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रारूप के अनुसार बनता रहा। जब CAG ऑडिट टीम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के ऑडिट के दौरान एम.एच. आर.डी. प्रारूप के आधार पर वार्षिक खाता तैयार करने के मामले पर प्रकाश डाला गया। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018–19 से वार्षिक लेखा एम.एच.आर.डी. प्रारूप के आधार पर बनाया गया जिसे विश्वविद्यालय के वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया तत्पश्चात CAG ऑडिट टीम के द्वारा ऑडिट कार्य चल रहा है।
2.	विश्वविद्यालय ने वर्ष 2016–17 में परीक्षण शुल्क के रूप में विभिन्न एजेंसी से रू० 49.60 लाख प्राप्त किया है। जबकि इसे रिसीट और भुगतान विवरणी में दिखाया नहीं गया है।	वितीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक खाते में आवश्यक सुधार कर दिया गया है। जिसे आगे के वर्षो में ऑडिट के समय दिखाया जायेंगा।
3.	रिकॉसिंलेशन (Reconciliation) बैंक स्टेटमेंट के आधार पर नहीं किया गया है।	विश्वविद्यालय के अंतर्गत 42 यूनिट है। जिसमें से 25 यूनिट का रिकॉसिंलेशन ऑडिट टिप्पणी के मद्देनजर हो चुका है और बाकी यूनिट का रिकॉसिंलेखन का कार्य चल रहा है। (Annexure-I)
4.	वर्ष 2016–17 के लिए अचल सम्पतियों और इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।	अचल सम्पती रजिस्ट्रर तैयार किया गया और नियमित है इसे CAG ऑडिट के अनुपालन प्रतिवेदन में दिखाया गया है।

डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2016–17 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा संसद के दोनों सदनों में रखा जाना था लेकिन कुछ कारणों से नियम समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

संसद में वितीय वर्ष 2016–17 के लिए अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा रखने में विलम्ब की विवरणी नीचे दिया गया है :–

CAG द्वारा वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	08.12.2017
अकाउंटेंट सेंट्रल (ऑडिट), पटना को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना।	14.02.2019
महालेखाकार, पटना से ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति।	21.05.2019
महालेखाकार, पटना को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर पैरावार टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण।	30.05.2019
महालेखाकार, पटना से अंतिम (सेपरेट) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति।	31.05.2019
लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	29.02.2019
आगंतुक ;टपेपजवतद्ध की मंजूरी के लिए वार्षिक खातों का प्रस्तुतीकरण ।	–
आगंतुक (Visitor) की स्वीकृति की प्राप्तिं।	–
वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियों की प्राप्ति।	–
संसद में उन्हें रखने के लिए मुद्रित प्रतियों को डेयर (DARE) में प्रस्तुत करना।	–

डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का स्थापना पूर्व के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को भारत सरकार के सरकारी गजट के द्वारा केन्द्रीय विष्वविद्यालय के रूप में समपरिवर्तन कर 7 अक्टुवर, 2016 को किया गया। कृषि के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए और कृषि और संवद्ध विज्ञानों में अनुसंधान के विकास और खोज की उन्नति के लिए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। कृषि और सम्वद्ध विषयों के विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों के संबंध में विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में पूरे देश में विस्तारित है।

उपलब्धियाँ

विश्वविद्यालय कृषि और संवद्ध शाखाओं के शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान बनने के लिए एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जो राज्य एवं देश के कृषक समुदाय के लिए सेवारत है तथा शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार की गुणवत्ता में व्यापकता में सुधार करने के लिए महत्वकांक्षा के साथ कार्य करता है राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के अनुरूप कृषि और संवद्ध क्षेत्रों में एक दृह वौद्धिक और परिश्रमी जनशक्ति का निर्माण करना, कृषि क्षेत्र में सतत् बढावा देने के माध्यम् से लोगों के जीवन के राष्ट्रीय स्तर और गुणवत्ता में सुधार करना, और कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत बढावा प्रदान करना और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कृषक समुदाय के साथ–साथ सभी उद्योगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना।

विश्वविद्यालय कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के 6 संकाय में स्नातक, 19 संकाय में स्नातकोत्तर एवं 9 संकाय में पी०एच०डी० में शिक्षा प्रदान कर रहा है। विश्वविालय में वर्ष 2017–18 कुल 285 छात्र विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी०एच०डी० पाठ्यक्रम में नामांकित हुए थे। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 5वीं अधिष्ठाता समिति की अनुशंसा को पूर्णरूप से लागू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावास सुविधाओं के उन्नयन, प्लेसमेंट इकाई के पुनरूद्धार, सॉफ्ट स्किल और रोजगार में सुधार और पुस्तकालय सुविधाओं के उन्नयन और स्वाचालन के लिए पहल की गई है। 2017–18 में 37 अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएँ, 03 राष्ट्रीय योजना, 11 केन्द्रीय सरकार, द्वारा वित्त पोषित, कुछ बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित एवं बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के आन्तरिक संसाधान से प्रायोजित परियोजनाएँ संचालित रही। विश्वविद्यालय द्वारा ईख का एक प्रभेद (सी.ओ.पी.–112 एवं बी.ओ.–154) अरहर (राजेन्द्र अरहर–1), गेहूँ (एच०डी० 2967), ऐरोबिक धान (राजेन्द्र नीलम), फॉक्सटेल बाजरा (समौल मिलेट)–राजेन्द्र कौनी–1, राजेन्द्र धनिया प्रवेष 385 राजेन्द्र धनिया–1 से नामित विश्वविद्यालय के अनुसंधान परिषद् के द्वारा विमुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है।

विश्वविद्यालय छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकता के अनुसार प्रौद्योगिकी विकसित करने और चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिकी की समस्या को दूर करने के लिए सभी तरह का प्रयास कर रहा है। चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिकी यानी ढाँव, ताल एवं चौर के लिए नाव पर चढा हुआ पम्पिंग प्रणाली का विकास, ड्रम अधारित सिंचाई प्रणाली का विकास (लधू सिंचाई योजना), सीमांत किसानों के लिए मिट्टी के टर्नर का डिजाइन और विनिर्माण, महिलाओं के अनुरूप मक्का सेलर का विकास, लधु और सीमांत किसानों की समाजिक आर्थिक स्थिति के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास, यानि मशरूम, वर्णशंकर बकरी, कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था को बढाने की दिशा में वर्ष के दौरान शहद, गुड़, दाल और मसाले आदि की ग्राम स्तरीय प्रसंस्करण इकाई इत्यादि मील के पत्थर सावित हुए हैं।

किसानों और अन्य हितधारकों के बीच कृषि प्रशिक्षण आयोजित करके प्रौद्योगिकी के प्रभावी हस्तांतरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कुशल प्रणाली का विकास किया गया है जैसे कि प्रसार शिक्षा निदेशालय, 11 कृषि विज्ञान केन्द्र, ऐटिक सेल एवं किसान कौल सेन्टर, एग्रोमेट सलाहकार सेवा आदि। प्रक्षेत्र प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण, किसान मेला, किसान गोष्ठी और समाचार पत्र और स्थानीय पत्रिका में लेखों का प्रकाशन टी० बी० वार्ता और सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मोवाईल एप आधारित सलाहकार सेवा आदि। वर्ष 2017–18 की अवधि में विश्वविद्यालय 59576 प्रतिभागियों (जिसमें वृतिशील कृषक, ग्रामीण युवा एवं क्षेत्र महिला सम्मिलित है) द्वारा कुल 213 प्रशिक्षण संचालित किया गया। 124 किसानों को 7675.815 हे० में 677 फार्म परीक्षण और अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण का आयेाजन किया गया।

विश्वविद्यालय के द्वारा परिसर के आधुनिकीकरण, शैक्षणिक गतिविधियों के बुनियादी ढांचे का विकास का काम, शिक्षकों और छात्रों को आदर्श शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया गया। क्लास रूम प्रशिक्ष्ण के प्रभाव को सुधारने के लिए सभी स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी०एच०डी० की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित किया गया। विश्वविद्यालय के द्वारा फलेक्स हाउस के नवीकरण और आधुनिकीकरण, परिसर की सड़कों के विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण, शैक्षणिक परिसर, प्रयोगशाला, क्लास रूम, छात्रावास और आवासीय भवन का नवीनीकरण किया गया।

प्रतिवेदित वर्ष में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने 41 राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय एवार्ड प्राप्त किया, 187 शोध पत्र, 5 किताब एवं 16 किताब का अध्याय् को प्रकाशित किया। विश्वविद्यालय के सभी संवैधानिक निकाय जैसे कि अध्ययन बोर्ड, विद्वत परिषद्, अनुसंधान परिषद्, प्रसार शिक्षा परिषद् बोर्ड ऑफ मैनेजमेंन्ट का गठन किया गया।

डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2017–18 के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार (अंकेक्षण) पटना के द्वारा माह फरवरी, 2019 में डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के धारा (1) के उपधारा (2) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया। अंकेक्षण महालेखाकार (अंकेक्षण) पटना के पत्र संख्या (सी)– एस०ए०आर० डी०आर०ची०सी०ए०यू० (2017–18)–343 दिनांक 31.7.2019 के द्वारा अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया जिसमें 6 टिप्पणियाँ की गई थी। इन 6 टिप्पणियों का अनुपालन तैयार कर सम्बद्ध प्राधिकार को समर्पित कर दिया गया। डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2016–17 के लेखा का अंकेक्षण माह फरवरी, 2019 में किया गया इसलिए अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित सुझावों को वर्ष 2018–19 एवं उससे आगे सही तरीके से अनुसरण किया गया। कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग के द्वारा 82.00 करोड रूपये सहायता अनुदान विश्वविद्यालय को विमुक्त किया गया जिसका सम्पूर्ण उपयोग किया गया।

31.07.2019 को CAG ऑडिट, पटना से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2017–18 का सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट का अनुपालन प्रतिवेदन :–

क्र0 सं0	टिप्पणी	अनुपालन
1.	खातों के एम.एच.आर.डी. प्रारूप के अनुसार पिछले वर्ष की राशि को वार्षिक खातों में शिडयूल सहित अगले वर्ष की वार्षिक खातों में दिखाना था लेकिन विश्वविद्यालयों द्वारा एम.एच.आर.डी. प्रारूप का उपयोग में न लाने के कारण पिछले वर्ष की राशि को 2017–18 के वार्षिक लेखा में नहीं दिखाया गया है।	इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य कृषि विश्वविद्यालय से रूपान्तरण के आधार पर हुआ है। जब यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन था तब लेखा विवरणी राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रारूप के आधार पर तैयार किया जाता था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बनने के प्रारंभ के वर्षो में विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा पूर्व के भाँति राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रारूप के अनुसार बनता रहा। जब CAG ऑडिट टीम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के ऑडिट के दौरान एम. एच.आर.डी. प्रारूप के आधार पर वार्षिक खाता तैयार करने के मामले पर प्रकाश डाला गया। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018–19 से वार्षिक लेखा एम.एच.आर. डी. प्रारूप के आधार पर बनाया गया जिसे विश्वविद्यालय के वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया तत्पश्चात CAG ऑडिट टीम के द्वारा ऑडिट कार्य चल रहा है।
2.	विश्वविद्यालय ने 01.04.2017 को अचल संपत्ति (अनुसूची–4) के Opening Balance के तहत रू0 315.05 करोड़ दिखाया। लेकिन ऑडिट के दौरान ऐसा कोई विवरणी रिकॉड नहीं मिला।	अचल संपत्तियों के संबंध में रिकॉड की विवरणी विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों में उपलब्ध है जिसे भविष्य में ऑडिट के समय दिखाया जाएगा।
3.	रिकॉसिंलेशन (Reconciliation) बैंक स्टेटमेंट के आधार पर नहीं किया गया है।	विश्वविद्यालय के अंतर्गत 42 यूनिट है। जिसमें से 25 यूनिट का रिकॉसिंलेशन ऑडिट टिप्पणी के मद्देनजर हो चुका है और बाकी यूनिट का रिकॉसिंलेशन का कार्य चल रहा है। (Annexure-I)
4.	वर्ष 2017–18 के लिए अचल संपत्तियों और इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।	वर्णित टिप्पणियों का निराकरण कर दिया गया है। जिसे आगे के वर्षो में ऑडिट के समय दिखाया जायेंगा।
5.	विश्वविद्यालय द्वारा एसेट्स/स्टॉक रजिस्टर शेड्यूल नहीं तैयार किया गया है।	वर्णित टिप्पणियों का निराकरण करते हुए तदनुसार आँकड़े में भी सुधार कर दिया गया है।
6.	विश्वविद्यालय द्वारा रिकॉसिलेशन Opening Account शिडयूल तथा Closing Account एंव कैश बुक के आधार पर नहीं किया गया है।	तथैव

संसद में वर्ष 2017–18 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विलम्ब का विवरणी :–

डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2017–18 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा संसद के दोनों सदनों में रखा जाना था लेकिन कुछ कारणों से नियम समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

संसद में वितीय वर्ष 2017–18 के लिए अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा रखने में विलम्ब की विवरणी नीचे दिया गया है :–

CAG द्वारा वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	25.01.2019
अकाउंटेंट सेंट्रल (ऑडिट), पटना को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना।	06.02.2019
महालेखाकार, पटना से ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति।	22.05.2019
महालेखाकार, पटना को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर पैरावार टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण।	07.06.2019
महालेखाकार, पटना से अंतिम (सेपरेट) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति।	31.07.2019
लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	29.02.2019
आगंतुक (Visitor) की मंजूरी के लिए वार्षिक खातों का प्रस्तुतीकरण।	–
आगंतुक (Visitor) की स्वीकृति की प्राप्ति।	–
वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियों की प्राप्ति ।	–
संसद में उन्हें रखने के लिए मुद्रित प्रतियों को डेयर (DARE) में प्रस्तुत करना।	–

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY
PUSA (SAMASTIPUR)-848125

O. O. No. 203/Dy. Regr./RPCAU Pusa, the 2nd March, 2020

OFFICE-ORDER

Approval is hereby accorded by Board of Management in respect of separate Audit Report submitted by the Indian Audit & Accounts Department, Patna on the accounts of RPCAU, Pusa for the financial year 2016-17 and 2017-18 for laying on the table of both the Houses of the Parliament

This issues with the approval of the competent authority.

Dy. Registrar (Academic)

No. 1244 /Dy.Regr./RPCAU, Pusa the 2nd March, 2020

Copy for information and necessary action to:

1. All the members of the Board of Management, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University,Pusa(Samastipur) Bihar
2. The Secretary, Department of Agricultural Research & Education, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.
3. The OSD, Office of the Secretary to the President, Rashtrapati Bhawan,CA-II Section, New Delhi-110 004
4. Prof. P. K. Mishra, Chancellor, Tapasya,331/A, Shri Aurobindo Nagar, Chandrashekharpur, Bhubaneswar-751 016
5. Dy. Secretary (Estt.), Department of Agricultural Research & Education, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.
6. Comptroller/Secy. to VC, RPCAU, Pusa
7. Concerned file, Office of the Registrar, RPCAU, Pusa.